(133)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4169-II/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.12.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 214 /2012-13 अपील।

रामसिंह पुत्र श्री ग्यासीराम ब्राहमण,
निवासी ग्राम नाहरदौकी, तहसील जौरा,
जिला - मुरैना (म0प्र0) ..... आवेदक

विरूद्ध

रामेश्वर पुत्र श्री मुरली ब्राहमण,
निवासी- ग्राम बिसनौरी, तहसील जौरा,
जिला - मुरैना (म0प्र0) ..... अनावेदक

श्री जी.पी. नायक अभिभाषक आवेदक
श्री कुँवर सिंह कुशवाह अभिभाषक अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 18../03/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 214/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.12.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959

(जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील जौरा के ग्राम नहारदौकी में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 252/1, रकवा 1 बीघा 18 विस्वा, 256 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 10 बीधा 17 विस्वा चकबंदी के बाद सर्वे क्रमांक 252/1 व 256 का नवीन सर्वे क्रमांक 278 व सर्वे क्रमांक 271 व 272 का नवीन सर्वे क्रमांक 125 के संबंध में आवेदिका बतसिया वैवा नारायण द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता धारा 113 के अन्तर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष पेश करते हुये अनुरोध किया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर बतसिया वेवा घनसुन्दर के स्थान पर नारायन का नाम दर्ज किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये दिनांक 23.04.1984 को आदेश पारित किया जाकर शासकीय अभिलेख बतसिया बेवा घनसुन्दर के स्थान पर बतसिया बेवा नारायन का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध रामसिंह द्वारा अपील कलेक्टर जिला मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 26.05.1987 को स्वीकार की जाकर उभय पक्षों को सुनवाई कर आदेश पारित करने के लिये प्रत्यावर्तित किया। कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश के विरूद्ध रामेश्वर द्वारा अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 04.

12.2014 से स्वीकार की गयी। इसके पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना एवं अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा सहिता की धारा 113 में दिये गये प्रावधानो पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है अतः आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आवेदक की ओर से यह भी बताया गया कि महिला बतसिया पत्नी नारायन रामेश्वर की ना तो रिश्तेदार है और न ही कुटुम्बी अनावेदक ने जानबूझकर आवेदक की बड़ी मॉ की भूमि हड़पने का प्रयास किया है शासकीय अभिलेख में सम्बत् 1993 वर्ष 1935-36 से सम्बत् 2007 यानि वर्ष 1950 तक विवादित भूमि महिला बतसिया पत्नी घनसुन्दर के नाम अंकित चली आई और यह प्रविष्टी सम्बत् 2035 यानि वर्ष 1978 से भी है। स्पष्ट है किसी भी प्रकार की खसरा पृविष्टी मे लिपिकीय भूल नही है और मामला 113 का बनता ही नही है क्यों इस धारा के अन्तर्गत पक्षकारों की सहमति पर अपलेखन की भूल ठीक करने का प्रावधान है जबकि पक्षकार लिपिकीय भूल ठीक कराने सहमत नहीं है इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी जौरा का आदेश धारा 113 के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मूल खसरो में महिता बतसिया पत्नी घनसुन्दर का नाम मध्य भारतकाल से लिखा आ रहा है जो रिकार्ड से प्रमाणित है इस प्रकार धारा

117 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी अभिलेखीय पृविष्टी सही मानी जावेगी जबतक कि उसे गलत प्रमाणित न कर दिया जावे। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश संहिता की धारा 117 के प्रावधानो के विपरीत है। अन्त में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4- अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष बतसिया वेवा नारायन द्वारा संहिता की धारा 113 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया गया था। कि प्रश्नाधीन भूमियों पर बतसिया बेवा घनसुन्दर का नाम दर्ज कर दिया गया है त्रुटि को सुधार करते हुये बतसिया बेवा नारायन का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा आदेश दिनांक 23.04.1984 को आदेश पारित करते हुये बतसिया बेवा नारायन का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसके पश्चात् कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया। कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जो निरस्त हुयी

अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा साक्ष्य और अभिलेखों के आधार पर आदेश दिनांक 25.02.2012 पारित किया। इसके विरूद्व रामसिंह द्वारा अपील कलेक्टर जिला मुरैना को प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 08.04.2013 से स्वीकार की गयी। और अनुविभागीय अधिकारी जौरा का आदेश दिनांक 25. 02.2012 निरस्त किया गया कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा आदेश पारित करने से पहले प्रकरण के तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया बल्कि गलत रूप से रामसिंह द्वारा आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया जबकि यह दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने थे। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं था फिर भी कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में गंभीरत्रुटि की है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा साक्ष्य तलब करने एवं प्रकरण मंगाये जाने बावत् आदेश को रामसिंह द्वारा अपर कलेक्टर जिला मुरैना निगरानी प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार कर ली गयी इसके पश्चात् अंर आयुक्त मुरैना द्वारा उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया। रामसिंह द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जो निरस्त की गयी। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी जो निरस्त थी। इसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा साक्ष्य का विधिवत् विवेचन करने के पश्चात् आदेश पारित किया जिसे कलेक्टर मुरैना द्वारा निरस्त करने में भूल की है। जिसके पश्चात् अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को अपील प्रस्तुत की

गयी थी जो स्वीकार हुयी। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी है वह बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया। आवेदिका महिला बतसिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 113 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चकबंदी के दौरान हुयी त्रुटि को सुधारने एवं बतसिया बेवा घनसुन्दर के स्थान पर बतसिया बेवा नारायन अंकित करने की मांग की गयी। इस संबंध में सम्बत् 2013 लगायत् 2023 की खसरा प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी है जिनमें बतसिया के पति का नाम नारायन अंकित रहा है आवेदन के साथ रैयत रसीद बही एवं सिचाई पुस्तिका की प्रतियॉ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है जिसमें बतसिया के पति का नाम नारायन अंकित है। रामसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपने जबाव में यह उल्लेख किया है कि पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में बतसिया बेवा घनसुन्दर सही अंकित किया है। जबकि इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये सम्बत् 1993 सम्बत् 2007 के अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत नहीं की है एवं चकबंदी के पूर्व की नकल खसरा की प्रति प्रस्तुत नही की जिससे स्पष्ट हो सके कि चकबंदी के पूर्व बतसिया बेवा घनसुन्दर का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहा था। जबकि अनुविभागीय दण्डाधिकारी के प्रकरण क्रमांक 236/83 मु0फौ0

आपराधिक में भी बतसिया के पति का नाम नारायन अंकित रहा है और रामसिह इन प्रकरणों में पक्षकार रहा है उसके द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 113 के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि सुधारने का अधिकार है उपरोक्त त्रुटि संशोधन से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता किन्तु कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा उक्त कार्यवाही को स्वत्व का विवाद माना गया है जो विधिवत् एवं सही नहीं है। विवादित भूमि कि भूमि स्वामी बतसिया रही है बतसिया के पति का नाम नारायन अथवा घनसुन्दर होने से स्वत्व का विवाद नहीं माना जा सकता। इस संबंध में कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 04.12.2014 स्थिर रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर